रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032021-226056
CG-DL-E-24032021-226056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1204] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943
No. 1204] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1301(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 401 और 404 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

क्र. सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
401	765डी	तेलंगाना राज्य में हैदराबाद (आउटर रिंग रोड के जंक्शन पर) से प्रारंभ होकर नरसापुर, रामपुर,**मेडक, येल्लारेड्डी, बांसवाड़ा** को जोड़ने वाला और रूदरूर के निकट **रारा – 161बीबी** के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

404	161बीबी	तेलंगाना राज्य में मडनूर के निकटरारा-161 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सोनाला, थड़ी हिप्पेरगा, लिंबूर, सिरपुर, पोथांगल, कोटागिरी, रुदरूर,**बोधन, बसर** को जोड़ने वाला और भैंसा के निकट रारा – 61 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ),दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1146(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/8/2021-पी एंड एम]
राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 1301(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 401 & 404 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
401	765D	The highway starting from Hyderabad (junction at outer ring road) connecting Narsapur, Rampur, **Medak, Yellareddy, Bhanswada and terminating at its junction with at NH-161BB near Rudrur in the State of Telangana.**
404	161BB	The highway starting from its junction with NH-161 near Madnoor and connecting Sonala, ThadiHipperga, Limboor, Sirpur, Pothangal, Kotagiri, Rudrur, **Bodhan, Basar and terminating at its junction with NH-61 near Bhainsa in the State of Telangana.**

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1146 (E), dated 11th March, 2021.

[F. No. NH-14012/8/2021-P&M]
RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2021

का.आ. 1302(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समझा जाएगा।

तालिका

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
599	765डीजी	तेलंगाना राज्य में मेडक के निकट रारा – 765डी के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामयमपेट, सिद्दीपेट, हुस्नाबाद को जोड़ने वाला और एलकाथुर्ती के निकट रारा – 563 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ),दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और उसके पश्चात अधिसूचना संख्या का. आ. 1146(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/8/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2021

S.O. 1302(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
599	765DG	The highway starting from its junction with NH-765D near Medak and connecting Ramayampet, Siddipet, Husnabad and terminating at its junction with NH-563 near Elkathurthy in the State of Telangana.

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1146 (E), dated 11th March, 2021.

[F. No. NH-14012/8/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.03.24 12:10:03 +05'30'